ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 188-190**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

अनुसूचित जातियों में राजनैतिक चेतना

डॉ0 उपेन्द्र कुमार मिश्रा
एम.ए., पी–एच0डी0– समाजशास्त्र, विलेज+पोस्ट– शेसम्बा, थाना – शकुराबाद, जिला– जहानाबाद (बिहार) भारत

Received-20.05.2025, Revised-26.05.2025, Accepted-30.05.2025 E-mail : upendramishra6608@gmail.com

सारांशः भारतीय समाज में सोलह प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों की है। इस आवादी को सवर्ण समाज हेय दृष्टि से देखता है। वे अक्सर पूरे समुदाय को अयोग्य, पियक्कड़, गंदा, धरती पर बोझ आदि समझकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में उन अछूत जातियों को अनुसूचित वर्गों में रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन शोषित जातियों के हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान में इन जातियों की एक अलग विस्तृत सूची तैयार की गई है जिसके कारण उन्हें अनुसूचित जाति कहते हैं।

कुंजीभूत शब्द– अनुसूचित जाति, राजनैतिक चेतना, भारतीय समाज, आबादी, पियक्कड़, धरती पर बोझ, स्वतंत्रता, ाोषित जातियॉ

अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1935 में साइमन कमीशन द्वारा किया गया था। इस शब्द का प्रयोग अस्पृश्य लोगों के लिए किया गया। सामान्यतः अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जातियाँ भी कहा जाता है, अतः इनकी परिभाषा अस्पृश्यता के आधार पर भी की गई है। के. एन. शर्मा के अनुसार 'अस्पृश्य जातियाँ वे हैं, जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाय और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़ें'[3] डी. एन. मजूमदार के अनुसार, 'अस्पृश्य जातियाँ वे है, जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित है, जिनमें बहुत सी निर्योग्यताएँ उच्च जातियों द्वारा परम्परागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई है।[4]'

अनुसूचित जातियों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक नियोग्यताओं का सामना करना पड़ा है। भारत की संवैधानिक दृष्टि का प्रचुर ध्यान उनके कल्याण में निहित है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें तथा ऐच्छिक संस्थाएँ कार्यरत हैं। इनके शैतिक एवं आर्थिक उत्थान तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक समर्थताओं को दूर करने के लिए विशेष निर्देश दिये गये हैं। भारतीय संविधान में इन जातियों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जातियों के दशाओं में विशेष रूप से परिवर्तन हुआ है। संवैधानिक सुविधाओं से उनकी आकांक्षायें बढ़ी है। समकालीन कानूनों, सम्प्रेषण साधनों, आवागमन एवं शिक्षा के प्रयास से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। जातिवाद और उसके अमानवीय तत्व अस्पृश्यता के प्रति स्वतन्त्र भारत का संविधान पूर्ण सजग रहा है। प्रस्थिति एवं अवसर की समानता की सुरक्षा का संकल्प लेते हुए, संविधान ने जातिवाद भारतीय समाज को जातिर्मुक्त समाज बनाने के लिये क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। मौलिक अधिकार शीर्षक में स्पष्ट घोषणा की गई है कि ''राज्य, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म–स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी नागरिक के विरूद्ध पृथक्करण नहीं करेगा'' (अनुच्छेद 15.1) इतना ही नहीं जातियों के कल्याण एवं उत्थान के लिये व्यापक रूप से संवैधानिक निर्देश हैं। अनुच्छेद 15, 25, 29, 164, 330, 332, 334, 335 विशेष रूप से ऐसी व्यवस्था के लिये ही है। फिर भी काल क्रमानुसार जातिवाद और अस्पृश्यता के नवीन स्वरूप ग्रहण कर लिया है एवं उन्हें नवीन सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक महत्व प्राप्त हुआ है।[5]

आर्थिक, सामाजिक और कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत अनुसूचित जातियों के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और कल्याण कार्यक्रम वर्तमान में अनुसूचित जातियों पर लगे परम्परागत व्यवसायिक प्रतिबंध शिथिल हुए हैं, राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए राजनीति में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, संवैधानिक संरक्षण, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता, कानूनी संरक्षण, विकास कार्यक्रमों में प्राथमिकता आदि के चलते इनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुए हैं।

दलित नेताओं द्वारा किया जा रहा वर्तमान राजनीतिक सूत्रपात, प्रजातांत्रिक राजनीति के एक नए युग के प्रारम्भिक मात्रा को इंगित करता है। हालांकि नेतृत्व संकट एवं उत्साह भंग के साथ अच्छे एवं बुरे समय आए, किन्तु फिर भी दलित मुक्ति आन्दोलन एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसका आज ध्यान रखना होगा। अधिकाधिक दलित साहस के साथ खुलकर बोलने लगे हैं। अब उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। वे देश में अन्य प्रभावशाली राजनीतिक दलों के राजनीतिक गठबंधन में सक्रिय रूप से भां ले रहे हैं।

भारतवर्ष जब स्वतंत्र हुआ उसके उपरान्त दलितों के प्रति कुछ उदारपूर्वक विचार आगे आये हैं और इनके बीच भी जागरण तथा राजनैतिक चेतना आई, परम्परागत हिन्दू समाज के विचारों तथा दृष्टिकोण में अंतर पड़ा है। इसके फलस्वरूप सामाजिक तथा राजनीतिक संबंधों में बदलाव आया है, कार्य के प्रति रूख बदला है। सामाजिक असमानता अलग–थलग रखने की भावना, दरिद्रता आदि के प्रति बदलाव आया है, क्योंकि परम्परागत विचार तथा व्यवस्था में परिवर्तन किये बिना योजनाबद्ध विकास तथा प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था कमजोर बना रहेगा।

दलितों में राजनीतिक चेतना तथा जागरण के तीन प्रमुख तत्व हैंः (1) सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलन (2) ब्रिटिश शासन और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति (3) पाश्चात्य विचारधारा। ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा देने की व्यवस्था की और दलितों के बीच चेतना तथा उनके प्रति सदभावना जागृत करने का कार्य किया। भारत के अन्य जाति के पढ़े–लिखे लोग दलितों के प्रति अत्याचार को ग्रहण नहीं कर सके। भारतीय समाज के स्पष्ट असमानताओं को भी उन्होंने चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन पश्चिमी शिक्षा तथा आधुनिकीकरण का फल था। दलित वर्ग भी इन सभी परिवर्तन से अछूता नहीं रहा।

वर्तमान समय में दलितों में भी राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा है। वे सक्रिय राजनीति में भां लेने लगे हैं। अब दलित क्षेत्रों में भी धीर–धीरे राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी एवं दिलचस्पी बढ़ रही हैं। दलित मतदाताओं ने विभिन्न आम चुनावों में भी लेकर राजनीति में सक्रियता का परिचय दिया है। अब चुनाव में भागीदारी से दलितों में राजनीतिक जागरूकता का उदय शुरू हो रहा है। दलित जनता भी अब राजनीति एवं चुनाव का महत्व समझ रही है। तथा चुनावी प्रक्रिया में खुलकर भाग लेना शुरू किया है। दलित लोग भी अब विभिन्न दलों की सदस्यता ग्रहण कर विभिन्न गैर–राजनीतिक संगठनों, सभा, सम्मेलनों में भाग लेकर अपनी

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

राजनैतिक जागरूकता का परिचय दे रही है, वैसे सामान्य क्षेत्रों और आरक्षित क्षेत्रों में मतदाताओं की जागरूकता अंतर होता है। सामान्य जाति का मतदाता राजनीतिक दृष्टि से अधिक जागरूक होता है। यद्यपि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना एवं जागरूकता का अभाव पाया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ग्रामीण लोगों में राजनीति के प्रति चेतना बिल्कुल नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि जितनी चेतना अथवा जागरूकता उन्हें होनी चाहिए वह उस स्तर तक नहीं पहूँच पाई है। अधिकांश ग्रामीण दलित यह जानते हैं कि उन्हें वोट देना है इसमें रूची रखते हैं, परन्तु क्यों और किसे वोट देना है इसका निर्णय वे ठीक से नहीं ले पाते हैं।

चूकि बिहार की अधिकांश जनता गाँवों में निवासी करती है। यहाँ गरीबी तथा अशिक्षा है। लोग प्रजातांत्रिक मूल्यों से उतना परिचित नहीं हैं इसलिए उनमें राजनीतिक जागरूकता अथवा चेतना का अभाव पाया जाता है। राजनीतिक चेतना का तात्पर्य राजनीतिक ज्ञान या साझेदारी से है जिसके द्वारा मतदाता संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करता है। इससे लोगों के राष्ट्र के प्रति दायित्व– बोध का पता चलता है, परन्तु बिना राजनीतिक ज्ञान के या राजनीतिक जागरूकता के मतदाता अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते फलस्वरूप वे या तो अपने मताधिकार का दुरूपयोग करते हैं या धन, शराब आदि के प्रलोभन में सौदेबाजी करते हैं।

विभिन्न समुदायों के मतदाताओं के राजनीतिक व्यवहार भिन्न–भिन्न होते हैं किसी समुदाय में राजनीतिक चेतना अधिक पाई जाती है तो किसी समुदाय में कम। प्रायः दलितों में सामूहिक मतदान व्यवहार पाया जाता है। जहाँ तक महिला मतदाता का सवाल है तो भारत में पुरूष एवं महिला में भेद नहीं किया गया है। भारतीय महिलाओं को प्रथम आम चुनाव से ही मताधिकार प्राप्त हैं जबकि पाश्चात्य देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए लम्बे समय तक इन्तेजार करना पड़ा है, जो नीचे की तालिका से स्पष्ट होता है।[6]

क्र. सं.	देश का नाम	महिलाओं को मताधिकार
1	चीन	1947
2	आस्ट्रेलिया	1919
3	अर्जेन्टिना	1947
4	मिश्र	1956
5	जमनी	1919
6	यू0एस0ए0	1920
7	इटली	1945
8	जापान	1945
9	कनाडा	1945

स्त्रोतः रिगार्ड फूलफोर्ड, बोटर्स फॉर वीमेन, पृ0 328.

बिहार में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। परन्तु महिलाएँ मतदाताएँ सार्वजनिक जीवन में अपेक्षकृत कम रूची लेती है। राजनीतिक चुनाव में भागीदारी का भी यही हाल है। संविधान में भले ही महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समानता प्रदान किया गया है। फिर भी सच यही है कि महिलाएँ अब भी बेड़ियों में जकड़ी हुई है। मतदान करते समय भी पुरूष उन्हें निर्देशित करते हैं कि उक्त पार्टी अथवा प्रत्याशी को ही अपना मत देना है। और महिलाएँ राजनीतिक जागरूकता के अभाव में ऐसा ही करती है।

साहित्य सर्वेक्षण –अनेक विद्वानों ने दलितों दलितों से संबंधित अध्ययन किये हैं। डॉ. भोला पासवान ने दलितों के विषय में कहा है कि हिन्दू समाज में सदियों से नीची जातियों को अछूत मानकर समाज की मुख्यधारा से अलग–अलग रखा गया है। उनमें शिक्षा की कमी है, अंधविश्वास है और उन्हें अलग–अलग रखकर उनका शोषण होता आ रहा है। दलितों को मनु ने चार वर्ण से भी अलग रखा गया है यद्यपि मनु ने पूर्व वर्ण की कल्पना भी नहीं की थी। यह समय के अनुसार मान्यताओं के कारण इन चार वर्णों के अलग रखकर अछूत दलित वर्ग में रखा गया।[7] के. एम. पणिक्कर ने अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्याओं की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि ''आर्थिक दृष्टि से समुदायिक अधिकार की योजना ने इन असहाय लोगों को सदा सम्पतिहीन रखा। वे स्थायी नौकरी के रूप में शर्तहीन सेवा करने के लिए मजबूर रहे हैं।[8] दैनिक पत्रिका नवभारत टाइम्स के वरिष्ट सहायक सम्पादक का एक विचारशील लेख ''अगर मैं दलित न होता'' में आपने लिखा है कि यह जरूरी है कि दलितों में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार है। अज्ञान के द्वारा अज्ञान से नहीं लड़ा जा सकता। अतः मैं कोशिश करता हूँ कि दलितों में साक्षरता का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हों, वे किताबें पढ़ना सीखें और आपस में खुब विचार विमर्श करें? दलित के पाँव में जूते भले ही न हो किन्तु उनके हाथ में एक किताब होनी चाहिए। जूता सिर्फ धूल–गर्दा से सर्दी–गर्मी से रक्षा करता है जबकि किताब सभी तरह के अन्यायों के खिलाफ संघर्ष करने का औजार देता है।[9]

अध्ययन का उद्धेश्य–

1. दलितों में राजनैतिक परिवर्तन का क्या स्वरूप है।
2. दलितों में राजनैतिक जागरूकता की अद्यतन स्थिति को ज्ञात करना प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्धेश्य है।

उपकल्पना–

1. दलितों में तीव्रगति से राजनैतिक जागरूकता बढ़ी है।
2. दलितों में अपनी जाति के प्रति पक्षपात की भावना बिकसित हुई है। जिसके फलस्वरूप जातीय आधार पर राजनीतिक गुटों का बढ़ावा मिला है।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत अध्ययन के लिए जहानाबाद जिला के काको प्रखंड अर्न्तगत बरावाँ पंचायत का चयन किया गया है। बरावाँ पंचायत की दूरी काको प्रखंड से 5 कि0मी0 उत्तर–पूर्व है। पटना–गया रेलमार्ग के नदौल स्टैशन से इसकी दूरी 4 कि0मी0 पूरब है।

तथ्य संकलन प्रविधि– प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार, अनुसूची एवं प्रत्यक्ष अवलोकन प्रविधि का उपयोग किया गया है।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

तथ्यों का वर्गीकरण– साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन में सम्मिलित प्रत्येक लोगों से जो सूचनाएँ प्राप्त की गई है, उन्हें उनकी प्रकृति में निहित समानता एवं शोध उद्धेश्य हेतु उसकी उपादेयता को ध्यान में रखते हुए उनका वर्गीकरण किया गया है। तथ्यों का युक्ति संगत सारणीयन के उपरान्त उनका वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तथ्यों के विश्लेषण एवं निर्वचन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में सामान्यीकरण तथा शोध के समाज वैज्ञानिक निहितार्थ की स्थापना की गई है।

निदर्शन– जहानाबाद जिला के काको प्रखंड के बरावाँ पंचायत का चयन किया गया है। इस पंचायत से सलेमपुर, बरावाँ, तिसकुरबा, उसरी मसारा गाँव का चयन किया गया है तथा इन गाँवों से कुल 50 उत्तरदाताओं का चयन उद्धेश्यपूर्ण निदर्शन प्रविधि के द्वारा किया गया है।

उपलब्धियाँ–

- 9 प्रतिशत, 38 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 14 प्रतिशत तथा 7 प्रतिशत उत्तरदाता क्रमशः 20 वर्ष से कम, 21–30 वर्ष, 31–40 वर्ष, 41–50 वर्ष, 51–60 वर्ष तथा 61 वर्ष से अधिक आयु के हैं।
- 32 प्रतिशत उत्तरदाता मुसहर, 37 प्रतिशत चमार, 22 प्रतिशत दुसाध, 7 प्रतिशत पासी, 2 प्रतिशत धोबी जाति के हैं।
- 8 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक, 12 प्रतिशत जूनियर हाईस्कल, 6 प्रतिशत हाईस्कल, 2 प्रतिशत इन्टरमीडियट, 2 प्रतिशत स्नातक, 28 प्रतिशत अक्षर ज्ञान तथा 42 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित हैं।
- 56 प्रतिशत, उत्तरदाता विवाहित तथा 44 प्रतिशत अविवाहित हैं।
- 56 प्रतिशत, उत्तरदाता मजदूरी, 30 प्रतिशत कृषि, 5 प्रतिशत नौकरी तथा 09 प्रतिशत स्वरोजगार करते हैं।
- 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मासिक आय 2000–5000 रूपये हैं। 30 प्रतिशत का मासिक आय 5000–8000 रूपये, 42 प्रतिशत का मासिक आय 8000–11000 रूपये तथा 4 प्रतिशत का मासिक आय 11000 रूपये से अधिक है।
- 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मकान कच्चा है। 16 प्रतिशत का मकान पक्का है तथा 36 प्रतिशत का मिश्रित है।

दलित समाज का कोई संगठन है। इसके जवाब में 58 प्रतिशत न हाँ कहा तथा 42 प्रतिशत ने नहीं कहा। आपकी राजनीति में रूची है। इसके जवाब में 74 प्रतिशत ने हाँ कहा, 10 प्रतिशत ने नहीं कहा तथा 16 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें राजनीति में थोड़ा–बहुत रूची है।

- आप किसी राजनैतिक पार्टी से जुड़ें हुए हैंः इसके जवाब में 86 प्रतिशत ने हाँ कहा, 10 प्रतिशत ने नहीं कहा तथा 4 प्रतिशत कोई जवाब नहीं दिया।
- आपने वोट दिया है। इसके जवाब में 58 प्रतिशत ने हाँ कहा, 34 प्रतिशत ने नहीं कहा तथा 8 प्रतिशत तटस्थ हैं।
- क्या आप कितने दलों के चुनाव चिह्न को पहचानते हैं? इसके उत्तर में 10 प्रतिशत, ने कहा कि वे सभी दलों के चुनाव चिह्न को पहचानते हैं, 20 प्रतिशत चार दलों के चुनाव चिह्न को पहचानते हैं, 28 प्रतिशत तीन दलों के चुनाव चिह्न को पहचानते हैं। 40 प्रतिशत दो दलों के चुनाव चिह्न को पहचानते हैं।
- आप सभी दलों के प्रत्याशियों के नाम जानते थे? इसके जवाब में 4 प्रतिशत ने हाँ कहा, 34 प्रतिशत ने कहा कि कुछ दलों के प्रत्याशियों के नाम जानते हैं, 52प्रतिशत ने कहा कि दो–तीन दलों के प्रत्याशियों के नाम जानते हैं। 10%तटस्थ हैं।
- क्या आप राजनैतिक दलों के सभाओं में जाते हैं? इसके जवाब में 16 प्रतिशत ने हाँ कहा, 44 प्रतिशत ने कहा कि वो कभी–कभी जाते हैं, 34 प्रतिशत ने नहीं कहा तथा 6 प्रतिशत तटस्थ हैं।
- आप देश–विदश की राजनीति घटनाओं के बारे में दिलचस्पी लेते हैं? इसके जवाब में 30 प्रतिशत ने हाँ कहा, 34 प्रतिशत ने कहा कि थोड़ा–बहुत दिलचस्पी लेते हैं तथा 36 प्रतिशत तटस्थ हैं।

राजनीतिक जागरूकता, मतदाताओं के राजनीति के प्रति दिलचस्पी, लोकतंत्र के प्रति आस्था राजनीतिक रूझान को दर्शाता है। व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों, उनकी पार्टी, उनके चुनाव चिह्न, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दल की जानकारी, देश–विदेश के राजनीतिक घटनाओं की जानकारी इस ओर इंगित करता है। मतदाता चुनाव के विषय में जानकारी रखते है। इन सब बातों से दलितों में राजनीतिक चेतना का पता चलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. विवेक कुमार (2007), ''दलित समाज पुरानी समस्याएँ नयी आकांक्षएँ (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन), सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 5.
2. गुप्ता, एम. एल., शर्मा, डी. डी. (2005), ''समाजशास्त्र'' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0 414–415.
3. शर्मा, के0 एन0, ''भारतीय समाज और संस्कृति, पृ0 262.
4. डी0 एन0 मजूमदार (1958), '' रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बे, पृ0 226.
5. गुप्ता, एम0 एल0, शार्मा, डी0 डी0 (2005), ''समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0 415–417.
6. रिगार्ड फूलर्फोड, (1956) ''बोटर्स फोर वीमेन, फाइवर एंड फाइवर लि0 24, रसले स्केर्थ, लन्दन, पृ0– 328.
7. भोला पासवान, (2010), ''दलित कल्याण सरकार–गैर सरकारी प्रयास, जानकी प्रकाशन, अशोक राज पथ, चौहट्टा, पटना, पृ0 सं0–21.
8. के0 एम0 पारिक्कर (1956), ''हिन्दू सोसायटी एट क्रॉस रोड्स एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे, पृ0 सं0 126.
9. जिया लाल आर्य (2011), ''दलित कहाँ जाएँ प्रकाशन संस्थान 4268–B/3 अंसारी रोड, नई दिल्ली, पृ0 सं0 28–29.

*****